तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इ
8/2/19	बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 20.2.19 को पेश हो।	
20.2.19	वादी अधि. उप.। प्रतिवादी सं. 1 O 9 R 7 CPC पेश हुआ। वादी अधि. ने No objection किया। प्रा. पत्र स्वीकार कर Ex Party आदेश अपास्त किया जाता है। भोगेश/मौका ... पेश किया, आगामी पेशी पर जवाब पेश करने हेतु पाबंद किया। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 25.2.19 को पेश हो।	Note
25.2.19	आज पत्र उप.। अप्रार्थी सं. 1 के अभिभाषक ने जवाब हेतु वक्त चाहा किंतु पिछली पेशी पर पाबंद करने पर भी जवाब पेश नहीं किया है जवाब देही बन्द की जाती है पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 1.3.2019 को पेश हो।	
1.3.19	अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली दिनांक ... को वास्ते 15-3-19 ... हो।	
15.3.19	प्रार्थी अभिभाषक उप.। बहस सुनी गई। पत्रा. वास्ते निर्णय दिनांक 25-3-2019 को पेश हो।	
25-3-2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी अधि. उप.। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल रहे। T.D.R. Hmm को मुताबिक निर्णय पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली के नतीजा मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर की जावे। ... एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—कपिल कुमार, यादव, आर.ए.एस.

विविध राजस्व संख्याः—320/2016

श्रीमति हरप्यारी बलवदा धर्मपत्नि श्री रघुवीर सिहं, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर—2, चिड़ावा रोड़, सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुझूनू (राज0)।

——प्रार्थीया——

बनाम

1. बलजीत कौर धर्मपत्नि श्री नक्षत्र सिहं, जाति जटसिख, निवासी डबलीबास फतेहमोहम्मद (मलकोका) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़—

——अप्रार्थीगण——

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए (1) (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1. श्री लालचन्द वर्मा—अधिवक्ता—प्रार्थीया

आदेश दिनांकः—25.3.2019

प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि चक 10 जे.डी.डब्ल्यू. पटवार क्षेत्र डबलीबास पेमा तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 44/48 तादादी 19.380 हैक्टेयर में 0.253 हैक्टेयर है तथा इसी खाता में अप्रार्थीया संख्या 1 की 0.506 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थना—पत्र के अनुसार इस खाता में अप्रार्थीया संख्या—1 के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 67/241 (27) के किला नम्बर 1

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

व 10 है तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 67/241 (27) के किला नम्बर 2 है। प्रार्थीया ने यह कथन किया है कि पत्थर नम्बर–67/241 (27) का किला नम्बर 2 पूर्व में खातेदार श्री लखविन्द्र सिहं पुत्र श्री गुरदिता सिहं के कब्जा काश्त में था तथा उसे रास्ता की सुविधा नहीं होने से उसने अप्रार्थीया संख्या–1 के कब्जा काश्त की भूमि पत्थर नम्बर 67/241 (27) के किला नम्बर 1 में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा अर्थात 8¼ फीट चौड़ाई की भूमि रास्ता के प्रयोजन हेतु ली तथा इसकी एवज में लखविन्द्र सिहं ने अपने कब्जा काश्त के किला नम्बर 2 में पश्चिमी सिरे पर किला नम्बर 1 के चिपते उतर से दक्षिण 1 बिस्वा अर्थात 8¼ फीट चौड़ाई की भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 को दी हुई थी तथा इस सम्बन्ध में अप्रार्थीया संख्या 1 व लखविन्द्र सिहं के मध्य तबादलानामा की लिखत भी दिनांक 02.06.2015 को हो चुकी थी। लखविन्द्र सिहं ने अपनी उक्त भूमि श्री श्योपतराम पुत्र श्री लूणाराम को विक्रय कर दी तथा श्योपतराम से प्रार्थीया ने यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 30.05.2016 खरीद की है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थीया संख्या 1 व श्री लखविन्द्र सिहं के मध्य उक्त रास्ता की सुविधा को प्रदत करते हुये हुई लिखित अनुसार किला नम्बर 1 के उतरी सिरे पर रास्ता चालू व विद्यमान है तथा इस रास्ता का उपयोग श्री लखविन्द्र सिहं के क्रेता श्योपतराम द्वारा किया जाता रहा व अब श्योपतराम से यह भूमि प्रार्थीया द्वारा क्रय किये जाने के बाद इस रास्ता का प्रार्थीया उपयोग व उपभोग करती आ रही है तथा इस रास्ता की एवज में किला नम्बर 2 के पश्चिमी सिरे 1 बिस्वा भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 को काश्त हेतु दी हुई है। प्रार्थीया श्री लखविन्द्र सिहं व अप्रार्थीया संख्या 1 के मध्य हुई लिखत को स्वीकार करती है। प्रार्थीया ने यह स्थिति भी स्पष्ट की है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि यद्यपि संयुक्त खाता में है लेकिन इस संयुक्त खाता में पत्थर नम्बर 67/241 (27) के किला नम्बर 1–2–10–11 इस संयुक्त खाता की भूमि से काफी दूर है व इस भूमि को पत्थर लाईन 66 पर मंजूरशुदा रास्ता उतर से दक्षिण से ही रास्ता की सुविधा प्राप्त हो रही है तथा इस कारण प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि किला

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

नम्बर 2 के लिये किला नम्बर 1 में उतरी सिरे पर रास्ता स्वीकार किया जाना अत्यावश्यक है व इस रास्ता के अलावा प्रार्थी की भूमि के लिये कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त कथन करते हुये चक 10 जेडीडब्ल्यू के खाता संख्या 44/48 के पत्थर नम्बर 67/24 (27) के किला नम्बर 1 में उतरी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 1 गट्ठा रास्ता अर्थात 1 बिस्वा अर्थात 0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीया संख्या 1 ने नोटिस की तामील होने के बावजूद जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये व एक पक्षीय बहस भी सुनी गई। इसी दौरान अप्रार्थीया संख्या 1 के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे प्रार्थी के अधिवक्ता ने द्वारा इस शर्त पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीया संख्या 1 आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जबाव प्रस्तुत करे। अप्रार्थीया संख्या 1 का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 25.02.2019 को भी अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जबावदेही अप्रार्थीया संख्या 1 बन्द की गई। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार किला नम्बर 1 के उतरी सिरे पर रास्ता चालू है तथा यह रास्ता स्वीकार किये जाने की अभिशसां की है।

प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने चक 10 जे.डी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 44/48 की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिससे उसके नाम से 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज है व इसके अतिरिक्त खाता संख्या 93/74 की जाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीया के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थीया द्वारा उक्त दोनों खातों की भूमि का नजरी नक्शा पस्तुत किया है। इस नक्शा के अनुसार खाता संख्या 93/74 की भूमि के लिये कोई स्वीकृत चिपता हुआ रास्ता नहीं है। इसी कारण अप्रार्थीया संख्या 1 व पूर्व खातेदार लखविन्द्र सिहं के मध्य रास्ता की सुविधा प्रदत किये जाने हेतु तबादलानामा का दस्तोवज दिनांक 02.06.2015 को निष्पादित

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हुआ है। लखविन्द्र सिहं ने खाता संख्या 44/48 में अपनी 0.253 हैक्टेयर भूमि श्योपतराम को दिनांक 08.07.2015 को विक्रय की है व तत्पश्चात् श्योपतराम से प्रार्थीया ने खाता संख्या 44/48 की 0.253 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 93/74 की 1.265 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 30.05.2016 क्रय की है। इस प्रकार प्रार्थीया की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि के लिये रास्ता की सुविधा नहीं है। प्रार्थीया की भूमि से स्वीकृत रास्ता एक बीघा दूर है। प्रार्थीया ने नम्बर 1 में उतरी सिरे पर रास्ता विद्यमान होने के तथ्य के सम्बन्ध में फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया है तथा रिपोर्ट तहसील के मुताबिक भी यह रास्ता मौका पर चालू है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीया का रास्ता स्वीकृति का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर चक 10 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त खाता संख्या 44/48 के पत्थर नम्बर 67/241 (27) के किला नम्बर 1 में उतरी सिरे पर पूर्व से पश्चिम एक गट्ठा अर्थात 0.013 हैक्टैयर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इस स्वीकृत किये जाने वाले रास्ता की एवज में इस खाता में प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.253 हैक्टेयर भूमि में से 0.013 हैक्टेयर कमकर 0.240 हैक्टेयर भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करेन हेतु आदेश जारी हो।

आदेश आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner